रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274287
CG-DL-E-08072026-274287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948
No. 535] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 593(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग विद्यार्थियों को सुगम और निर्बाध रूप से कोचिंग सुविधा तथा सेवाएँ प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, इसलिए यह पहचान सिद्ध करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अनेक दस्तावेज़ों की आवश्यकता को समाप्त करता है,:

और, कोयला मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त मंत्रालय' कहा गया है) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श करने के पश्चात्, सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, यह निर्णय लिया है कि उक्त मंत्रालय प्रमाणीकरण करेगा और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने हेतु प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्राप्त करेगा और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इस आशय की अधिसूचना जारी करेगा:

और, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व– *'साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सुश्रुत'* (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त उद्देश्य' कहा गया है) के अधीन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए छात्रों को कोचिंग सुविधा प्रदान करने हेतु आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट है और उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा और यह कि उक्त मंत्रालय आधार प्रमाणीकरण केवल इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित आधार प्रमाणीकरण सेवा हेतु ही करेगा, जिसे छात्रों तक लाभों का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

और, इस प्रक्रिया के अधीन, छात्रों या लाभार्थियों का सत्यापन बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा और उक्त शैक्षिक सुविधा का लाभ संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा:

अत: अब, इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: –

1. (1) उक्त मंत्रालय, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित है, प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या कराने में असमर्थ होने के लिए आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

(ख) राशन कार्ड; और

(ग) मतदाता पहचान पत्र।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 49029/2/2024-सीएसआरडब्ल्यू]

चेतना शुक्ला, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 593(E).— WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables students to receive coaching facility and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

AND WHEREAS the Ministry of Coal (hereinafter referred to as the said Ministry), after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Ministry shall perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

AND WHEREAS, the Aadhaar authentication shall be performed for providing coaching facility to students for National Eligibility cum Entrance Test (NEET) examination under Corporate Social Responsibility – '*South Eastern Coalfields Limited (SECL) ke Sushrut*' (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry shall perform the Aadhaar authentication only for the proposed Aadhaar Authentication Service for the purpose, which is designed to ensure efficient, transparent and targeted delivery of benefits to the students.

AND WHEREAS, under this process, students or beneficiaries shall be verified through biometric Aadhaar authentication and the said educational facility benefit shall be provided by the concerned implementing agency.

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: –

1. (1) The said Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) The Aadhaar authentication is on voluntary basis, the said Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Permanent Account Number (PAN) Card;

(b) Ration Card; and

(c) Voter Identity Card.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 49029/2/2024-CSRW]

CHETNA SHUKLA, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA